E-Mail– 9001aasif@gmail.com

Mohammad Asif मो. न. +91-9413609001 Anand Nagar, Sumerpur Dist-Pali (Raj.) PIN-306902

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) शिक्षा सहयोग छात्रवृति-

1.	संक्षिप्त विवरण	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना अंतर्गत बीमित सदस्यों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम की ''जनश्री बीमा योजना'' के साथ ''शिक्षा सहयोग योजना'' का लाभ भी दिया गया है।
2.	आवेदन कहां किया जायें	संबंधित ग्राम पंचायत में निर्धारित प्रपत्र में आवदेन किया जा सकता है।
3.	पात्रता	• बीमित व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययनरत, अधिकतम 2 बच्चों को देय है। • अभिभावक का इस योजना के तहत बीमित होना आवश्यक है। • छात्र के अनुतीर्ण होने की दशा में भुगतान देय नहीं होता है।
4.	आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज	निर्धारित आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड की प्रति, गत वर्ष उत्तीर्ण अंक तालिका।
5.	देय लाभ/ सुविधाएँ	• 100 रू. प्रति विधार्थी प्रतिमाह, तिमाही आधार पर प्रतिवर्ष 1200 रू. प्रति विद्यार्थी किन्तु अधिकतम 4 वर्षो के लिए देय होगा। • शैक्षणिक वर्ष जून से मई तक की अवधि के लिए ।
6.	भुगतान प्रक्रिया	• छात्रवृति हेतु बीमित व्यक्ति को कोई प्रीतियम नहीं देना है यह ''शिक्षा सहयोग योजना'' भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है इसका भुगतान भारत सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता है यह योजना जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित है। • ग्राम सेवक बीमित व्यक्ति के छात्रों के छात्रवृति फॉर्म स्वयं पूर्ण कराकर संस्था प्रधान से प्रमाणित कराकर, जीवन बीमा निगम के अधिकृत कार्यालय को भिजवाए जाते है। • ग्रामीण क्षेत्र के बीमित परिवार के छात्रों हेतु समेकित राशि एकाउंट पेयी चैक से विकास अधिकारी (संबंधित) को भिजवायी जाती है।